

10,000 FPO को CSC में परिवर्तित करने हेतु समझौता ज्ञापन

स्रोत: पी.आई.बी

हाल ही में **ई-गवर्नेंस** सेवा प्रदाता **कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल प्रपोज व्हीकल (CSC SPV)** तथा **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** ने 10,000 **किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organisation- FPO)** को **सामान्य सेवा केंद्र (Common Service Centres- CSC)** में परिवर्तित करने के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।

- इससे **'10,000 FPO के गठन एवं संवर्द्धन योजना'** के तहत पंजीकृत FPO से जुड़े किसानों को लाभ होगा, क्योंकि इससे उन्हें नागरिक-केंद्रित सेवाएँ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- **'10,000 FPO का गठन एवं संवर्द्धन' वर्ष 2020** में शुरू की गई एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है।
 - इसका उद्देश्य **किसानों की सौदेबाजी की क्षमता में वृद्धि करना, उत्पादन की लागत में कमी लाने** और अपने कृषिउत्पादों के एकत्रीकरण के माध्यम से **किसानों की आय में वृद्धि करना** है।
- **CSC योजना**, जो **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम** की मशिन मोड परियोजनाओं में से एक है, किसानों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान कर रही है, जिनमें **टेली-कंसलटेशन, फसल बीमा, ई-पशु चिकित्सा, किसान क्रेडिट कार्ड और PM किसान योजनाएँ** शामिल हैं।

और पढ़ें: **सामान्य सेवा केंद्र (CSC), किसान उत्पादक संगठन, 10,000 FPO का गठन और संवर्द्धन**



